न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 44/2022

प्रार्थी

1. लच्छाराम पुत्र मालाराम जाति सीरवी निवासी— बोरनडी तहसील— मारवाड जंक्शन, जिला— पाली।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान
02. घीसाराम पि0 लच्छाराम के का0मु0 2/1 दयालराम पुत्र घीसाराम
03. रूपाराम
04. भीयाराम
05. जीवाराम
06. मेघाराम पिसरान लच्छाराम
07. गंगादेवी पुत्री लच्छाराम जातियान—
08 जटिया, निवासी— बोरनडी, तहसील— मारवाड़ जंक्शन, जिला— पाली।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

1. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

—: निर्णय :—

दिनांक — 07/11/22

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम हरियामाली, पटवार हल्का हरियामाली, भू.अ.नि. क्षेत्र बगड़ी, तहसील सोजत के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2063 से 2066 अनुसार खाता संख्या 01 के खसरा नम्बर 422/1 व 423/1 कुल खसरा 02 व कुल रकबा 0.6400 हैक्टर की कृषि भूमि प्रार्थी की एकमात्र बहैसियत खातेदार काबिज काश्त है। प्रार्थना पत्र में वर्णित वादस्थ कृषि भूमि का प्रार्थी ही वैध खातेदार काश्तकार है तथा प्रार्थी का ही उपरोक्त वर्णित आराजी पर शांतिपूर्वक तरीके से कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग है। अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 08 ग्राम हरियामाली के ही निवासी है, जिनके पिता/पति का नाम लच्छा पुत्र लुम्बा कौम जटिया निवासी बोरनडी थे, जिनका स्वर्गवास हो चुका है तथा उक्त अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 08 की कृषि भूमि ग्राम हरियामाली के खसरा नम्बर 980 रकबा 0.3200 हैक्टर की आई हुई स्थित थी, जिस कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में लच्छा पुत्र लुम्बा फौत होने पर राजस्व रेकर्ड में नामान्तरण संख्या 592 स्वीकृत कर उक्त अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 08 उनके वारिसान होने से उनका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया जो नामान्तरण संख्या 592 स्वीकृत किया गया। लेकिन संबंधित पटवारी हल्का व राजस्व

उपखण्ड अधिकारी

र्मचारियों द्वारा उक्त नामान्तरण संख्या 592 मात्र खसरा नम्बर 980 के ही संदर्भ में स्वीकृत होने के उपरान्त प्रार्थी की कृषि भूमि के वादस्थ खसरा संख्या 422/1 व 423/1 में स्वाभाविक त्रुटिवश नामान्तरण संख्या 592 का इन्द्राज अंकित करते हुए प्रार्थी के स्थान पर अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 8 का नाम विधि विरूद्ध रूप से दर्ज कर दिया जबकि नामान्तरण संख्या 592 ग्राम हरियामाली के खसरा संख्या 980 की भूमि के संदर्भ में स्वीकृत हुआ था, जिसको संबंधित पटवारी हल्का द्वारा गलत तरीके से प्रार्थी की भूमि में प्रार्थी का नाम हटा कर अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 08 का नाम दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी को उक्त कृषि भूमि में अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 08 का नाम दर्ज करने से पूर्व कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया न ही प्रार्थी को उक्त अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 08 का नाम अपनी भूमि में दर्ज होने की जानकारी रही है। अभी वर्तमान में प्रार्थी को वादस्थ भूमि के संबंध में ऋण की आवश्यकता होने पर संबंधित पटवारी हल्का से सम्पर्क कर जमाबंदी के बारे मे कहा तो संबंधित पटारी हल्का द्वारा उक्त भूमि के रेकर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज न होकर अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 08 का नाम दर्ज होने की जानकारी हुई, जिस पर प्रार्थी दिनांक 01.02. 2022 को उक्त कृषि भूमि की जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करने पर व दिनांक 02. 02.2022 को उक्त नामान्तरण संख्या 592 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर सर्वप्रथम जानकारी में आया कि संबंधित पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि में विधि विरूद्ध रूप से त्रुटिवश राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 तैयार करते वक्त प्रार्थी का नाम हटा कर अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 08 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया, जबकि अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 08 का उक्त भूमि से कोई सरोकार नहीं है न ही उक्त भूमि पूर्व में इनके पिता/पति के नाम दर्ज रही है। इसलिए प्रार्थी का वदस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 में की गई त्रुटि को दुरूस्त करवा कर अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 08 के स्थान पर अपना नाम खातेदारा दर्ज करवाने का अधिकारी है।

इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश ग्राम हरियामाली के वर्तमान खसरा संख्या 422/1, 423/1 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.6400 हैक्टर की भूमि में राजस्व कर्मचारियों द्वारा जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 तैयार करते वक्त प्रार्थी के स्थान पर त्रुटिवश अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 08 का नाम दर्ज कर दिया जिसे प्रार्थी पुनः राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करवाकर अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 08 के स्थान पर अपना नाम दर्ज करवाने की ईस्तदुआ की है।

राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस के वास्ते जवाब तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3, 4, 5, 6, 8 बावजूद सूचना / तामिल बार बार आवाजे लगाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 07.11.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत ने दिनांक 07.11.2022 को जवाब प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

श कर अंकित किया कि पैरा संख्या 01 वर्णित भूमि मौजा हरियामाली में स्थित है। पैरा संख्या 02 से 05 कानूनी है।

बहस उभयपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 08 की कृषि भूमि ग्राम हरियामाली के खसरा नम्बर 980 रकबा 0.3200 हैक्टर की आई हुई स्थित थी, जिस कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में लच्छा पुत्र लुम्बा फौत होने पर राजस्व रेकर्ड में नामान्तरण संख्या 592 स्वीकृत कर उक्त अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 08 उनके वारिसान होने से उनका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया जो नामान्तरण संख्या 592 स्वीकृत किया गया। लेकिन संबंधित पटवारी हल्का व राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त नामान्तरण संख्या 592 मात्र खसरा नम्बर 980 के ही संदर्भ में स्वीकृत होने के उपरान्त प्रार्थी की कृषि भूमि के वादस्थ खसरा संख्या 422/1 व 423/1 में सदभाविक त्रुटिवश नामान्तरण संख्या 592 का इन्द्राज अंकित करते हुए प्रार्थी के स्थान पर अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 8 का नाम विधि विरूद्ध रूप से दर्ज कर दिया जबकि नामान्तरण संख्या 592 ग्राम हरियामाली के खसरा संख्या 980 की भूमि के संदर्भ में स्वीकृत हुआ था। जिसको संबंधित पटवारी हल्का द्वारा गलत तरीके से प्रार्थी की भूमि में प्रार्थी का नाम हटा कर अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 08 का नाम दर्ज कर दिया हरियामाली के वर्तमान खसरा संख्या 422/1, 423/1 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.6400 हैक्टर की भूमि में राजस्व कर्मचारियों द्वारा जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 तैयार करते वक्त प्रार्थी के स्थान पर त्रुटिवश अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 08 का नाम दर्ज कर दिया जिसे प्रार्थी पुनः राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करवाकर अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 08 के स्थान पर अपना नाम दर्ज करवाने की ईस्तदुआ की है। जिस पर तहसीलदार सोजत ने स्वीकारोक्ति/सहमति जाहिर की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात ग्राम हरियामाली के खसरा नम्बर 422/1 व 423/1 की जमाबंदी संवत् 2063 से 2066, प्रमाणित प्रतिलिपि ग्राम हरियामाली के म्यूटेशन संख्या 592 खसरा नम्बर 980 के संबंध में, प्रमाणित प्रतिलिपि खसरा नम्बर 422/1 व 423/1 की संवत् 2075 से 2078 व 2067 से 2070 की प्रमाणित प्रतिलिपियां पेश किए, जिनका गहनता से अध्ययन कर अधिवक्ता प्रार्थी की मौखिक दलिलो पर गौर कर मनन किया गया तो हम इस निष्कर्ष पर पहचुते है कि ग्राम हरियामाली के खसरा नम्बर 980 रकबा 0.3200 हैक्टर की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में लच्छा पुत्र लुम्बा फौत होने पर राजस्व रेकर्ड में नामान्तरण संख्या 592 स्वीकृत कर उक्त अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 08 उनके वारिसान होने से उनका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाकर नामान्तरण संख्या 592 स्वीकृत किया गया। लेकिन संबंधित पटवारी हल्का व राजस्व कर्मचारियों द्वारा नामान्तरण संख्या 592 मात्र खसरा नम्बर 980 के ही संदर्भ में स्वीकृत होने के उपरान्त प्रार्थी की कृषि भूमि के वादस्थ खसरा संख्या 422/1 व 423/1 में

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

मान्तरण संख्या 592 का इन्द्राज कर प्रार्थी के स्थान पर अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 8 का नाम विधि विरूद्ध रूप से दर्ज कर दिया गया। जबकि खसरा नम्बर 422/1 व 423/1 लक्ष्छाराम पुत्र मालाराम कौम सिरवी निवासी बोरनडी के नाम से ग्राम हरियामाली की जमाबन्दी सम्वत 2063–2066 में दर्ज सुदा है। लिहाजा सरहद मौजा ग्राम हरियामाली के वर्तमान खसरा नम्बर 422/1 व 423/1 कु खसरा 02 कुल रकबा 0.6400 हैक्टर की भूमि में घीसाराम, दयालराम, रूपाराम, भीयाराम, जीवाराम, मेघाराम, केली, गंगादेवी के स्थान पर प्रार्थी लच्छाराम पुत्र मालाराम, जाति सीरवी निवासी– बोरनडी, तहसील मारवाड़ जंक्शन के नाम से रेकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम हरियामाली के वर्तमान खसरा नम्बर 422/1 व 423/1 कु खसरा 02 कुल रकबा 0.6400 हैक्टर की भूमि में घीसाराम, दयालराम, रूपाराम, भीयाराम, जीवाराम, मेघाराम, केली, गंगादेवी के स्थान पर प्रार्थी लच्छाराम पुत्र मालाराम, जाति सीरवी निवासी– बोरनडी, तहसील मारवाड़ जंक्शन के नाम से रेकर्ड दुरूस्त किया जाता हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक ०७।०।२० को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)